भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

LC. Case No. 06/10-11

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
09.12.17	प्रस्तुत वाद श्री विजय कुमार प्रसाद, पे0 स्व0 जय प्रकाश प्रसाद, सा0–गोईलकेरा के आवेदन पत्र पर B.L.R. Act 1961 की धारा–16 (3) के तहत Pre-emption वाद प्रारम्भ किया गया। आवेदक श्री विजय कुमार प्रसाद ने श्री अजय कुमार जयसवाल पे0 स्व0 भगवान दास जयसवाल के द्वारा निबंधित केवाला संख्या 458 दिनांक 26.02.2011 से क्रय की गई भूमि–मौजा–गोईलकेरा बाजार के खाता सं0–66, प्लॉट सं0–282, रकवा–02 डी० 25 वर्गकड़ी के जमीन को Pre-emption तहत अपने नाम पर निबंधित/अंतरित करने हेतु 37,200 + उसकी 10 प्रतिशत की राशि 3,720/– रू0 ट्रेजरी चालान नं0–25 एवं 26 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, चक्रधरपुर में जमा कराते हुए अपने नाम निबंधन हेतु अनुरोध किया है। आवेदक अपने पक्ष में निबंधन करने का आधार Co-Sharer, Adjacent Raiyat एवं निबंधन हेतु Consideration Amount एवं उसके 10 प्रतिशत की राशि का ट्रेजरी चालान नं.–00025 एवं 00026 में जमा होना बताया है। आवेदक के द्वारा अपने पक्ष में इसके अतिरिक्त कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में बताया कि श्री अजय कुमार जयसवाल, श्री विजय कुमार प्रसाद उनके Co-Sharer नहीं है। विपक्षी श्री अजय कुमार जयसवाल, श्री विजय कुमार प्रसाद दावा Adjacent Raiyat भी नहीं है। Act के प्रावधान के अनुसार इस संबंध में उनके द्वारा यह बताया गया कि निबंधित केवाला में वर्णित भूमि के चौहद्दी के उत्तर–श्री प्रधान जोंको, दक्षिण–विक्रेता खुद है, पूरब–रास्ता, पश्चिम–प्रताप नारायण चौरासिया है। इस संबंध में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि अंचल अधिकारी, गोईलकेरा के पत्रांक 728, दिनांक 06.09.2011 के द्वारा जो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पोड़ाहाट चक्रधरपुर को सम्बोधित है में स्पष्ट किया है कि श्री विजय कुमार प्रसाद प्रश्नगत भूमि के Adjoining Raiyat नहीं है। अंचल अधिकारी, गोईलकेरा ने प्रश्नगत भूमि के विपक्षी श्री अजय कुमार जयसवाल के अनुरोध पर नापी भी कराया था। उक्त नापी का विरोध आवेदक श्री विजय कुमार प्रसाद के द्वारा किया गया था, परंतु उनका आवेदन को खारिज करते हुए जमाबंदी क्रेता अजय कुमार जयसवाल की भूमि (प्रश्नगत भूमि 02 डी० 25 वर्गकड़ी) को नापी अंचल अमीन के द्वारा ग्रामीणों के समक्ष किया गया, जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। अंचल अधिकारी, गोईलकेरा द्वारा प्रश्नगत भूमि का नामांकन श्री अजय कुमार जयसवाल के नाम पर दिनांक 19.02.2011 को किया गया और इसको जमाबंदी पृष्ठ सं0–90 Vol-III में दिनांक 22.02.2011 में दर्ज किया गया। उभय पक्ष की दलिल को सुनने के बाद एवं संलग्न कागजात को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि श्री विजय कुमार प्रसाद आवेदित भूमि मौजा–गोईलकेरा बाजार के खाता सं0–66, प्लॉट सं0–282, रकवा–02 डी० 25 वर्गकड़ी का संलग्न रैयत नहीं है। साथ ही आवेदक विक्रेता सह जमाबंदी रैयत श्री गोविन्द प्रसाद पाडिया, पिता– स्व० गजानन्द पाडिया, श्री प्रदीप कुमार पाडिया, पिता– स्व० गजानन्द पाडिया एवं श्री विवेक पाडिया, पिता– स्व० विजय पाडिया के Co-Sharer नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक श्री विजय कुमार प्रसाद का आवेदन तथ्यहीन बुनियान पर आधारित होना प्रतीत होता है। उपलब्ध सभी साक्ष्य एवं कागजात पर समेकित विचारोपरान्त आवेदक के आवेदन को तथ्यहीन मानते हुए खारिज किया जाता है। 9.12.17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	Seen by Adv

Digitally signed by localhost
Date: 2025.06.13 14:08:38 +05:30
Location: 10.93.69.133

Corres Letter.